

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

120वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 09-05-2022

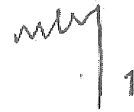
का

कार्यवृत्त ।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 120वीं बैठक दिनांक 09-05-2022 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 120वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 09-05-2022 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1.	श्री मृदुल चौधरी,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री दीपक मीणा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री प्रमोद कुमार	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि-विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री वी०के०कौशल,	उपायुक्त, उद्योग, (प्रतिनिधि अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ)।	सदस्य।
6.	श्री सुलतान अशरफ सिद्दीकी	अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, (विशेष आमन्त्रित सदस्य) मेरठ।	सदस्य।

7.	श्री सजय कुमार गौतम	महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई, उत्तर प्रदेश, जल निगम-नगरीय, गाजियाबाद।	सदस्य।
8.	श्री कृष्ण मोहन	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री एस0सी0गौड़,	चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर, प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	सदस्य।
10.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01, मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्रीमती वर्षा कौशिक,	शासन द्वारा नामित सदस्य, के-03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
13.	श्री चन्द्रपाल तिवारी,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

कौम पूर्ण है। अतः एव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

120वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-05-2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय-

मद सं०	विषय	निर्णय
1.	अमृत महायोजना के अन्तर्गत मेरठ नगर की जी०आई०एस० आधारित महायोजना-2031 के सम्बन्ध में।	अमृत योजना के अन्तर्गत मेरठ नगर की जी०आई०एस० आधारित प्रारूप महायोजना 2031 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09-05-2022 में लिया गया निर्णय। मेरठ विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.04.2022 को सम्पन्न 119वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत ड्राफ्ट महायोजना-2031 पर माननीय बोर्ड द्वारा 21 अलग-अलग सुझाव दिये गये थे। मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समस्त 21 सुझावों को समायोजित करते हुए संशोधित महायोजना प्रारूप का प्रस्तुतीकरण मा० बोर्ड के समक्ष किया गया। मा० बोर्ड द्वारा दिये गये प्रत्येक सुझाव पर प्राधिकरण द्वारा संशोधित महायोजना प्रारूप में अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा निर्देशित प्रत्येक बिन्दु पर, प्राधिकरण द्वारा किये गये अनुपालन एवं तदनुसार संशोधित ड्राफ्ट महायोजना का अवलोकन किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा किये गये अनुपालन पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न निर्देश दिये गये:- 1. परतापुर चौराहें से नहर के सहारे 24 मी० चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित किया जाए। 2. आर०आर०टी०एस० तथा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे के निकट बाईपास मार्ग पर प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं के पीछे विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ नहर की सीमा तक आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया जाए। 3. आवासीय क्षेत्र में हुई उपरोक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप गढ़ मुक्तेश्वर रोड पर उत्तर की ओर

	काली नदी तक प्रस्तावित किये गये आवासीय क्षेत्र को समाप्त किया जाए। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों को समायोजित करते हुए कंसल्टैन्ट से संशोधित महायोजना प्रारूप तैयार करवाया जाए। संशोधित महायोजना प्रारूप एक सप्ताह में तैयार कर निम्नवत् कार्यवाही की जाए:- संशोधित महायोजना प्रारूप पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एक माह तक जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाए। जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के साथ-साथ समस्त सरकारी विभागों को भी संशोधित महायोजना प्रारूप की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए, ताकि उनके द्वारा भी महायोजना प्रारूप का अध्ययन कर अपनी विभागीय आपत्तियों से प्राधिकरण को अवगत कराया जा सकें।
--	---

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(चन्द्र गान्धिविहारी)
सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(मृदुल चौधरी) 13/05/07
उपाध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

शा.प्र.वे.ओ.जे.ना-2031 पर एम। प्रमोदराव
के दस्तावेज (अवश्य नका, लो)
(सुरेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।